

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021-22/ 329

दिनांक: 04 अक्टूबर, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि एवं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को छोड़कर)
राजस्थान।

विषय :- स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए संशोधित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया बाबत।

सन्दर्भ :- एफ7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021-22/पार्ट/285 दिनांक: 07.09.2021 एवं
317 दिनांक 24.09.2021.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए संशोधित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां निम्नानुसार रहेगी -

संशोधित ऑनलाईन प्रवेश कार्यक्रम (सत्र 2021-22) स्नातक पार्ट प्रथम

क्र.सं.	विवरण	वार व तिथि
1.	(अ) मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई-मित्र पोस्टिंग की अन्तिम तिथि (ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार 09.10.2021 (दोपहर 2.00 बजे तक) शनिवार 09.10.2021
2.	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	सोमवार 11.10.2021
3.	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	मंगलवार 12.10.2021
4.	महाविद्यालय में ऑनलाईन/ऑफ लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य प्रारम्भ	सोमवार 18.10.2021

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए संशोधित ऑनलाईन प्रवेश कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	वार व तिथि
5.	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	मंगलवार 12.10.2021
6.	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	सोमवार 18.10.2021
7.	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार 20.10.2021
8.	(अ) रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (ब) मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई-मित्र पोस्टिंग की अन्तिम तिथि (स) अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरुवार 21.10.2021 सोमवार 25.10.2021 मंगलवार 26.10.2021
9.	प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	गुरुवार 28.10.2021
10.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	शुक्रवार 29.10.2021

संशोधित प्रवेश कार्यक्रम का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

कोविड-19 के मद्दे नजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवायजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

(त्रिभुवनपति)

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)